(b) if so, the main changes proposed?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shrimati Chandrasekhar): (a) and (b). The question of revision of lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is still under consideration.

सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में अग्निकांड

*३८१. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २५-२६ अक्तूबर, १९६३ की रात को आग लग जाने के कारण सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में सैकड़ों दुकानें जल गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो आग लगने का क्या कारण था ; और

(ग) क्या यह सच है कि पानी की कमी के कारण आग बुझाई नहीं जा सकी थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां, सरोजिनी नगर मेन मारकीट (नई दिल्ली) के सामने बापू मार्केट में २५ अक्तूबर, १९६३ की रात को लगभग एक बजकर १५ मिनट पर आग लग जाने से लगभग २७६ दुकानें जलीं ।

(ख) समीपवर्ती एक दुकान की भट्ठी के शोले, जो फूस की छतों में जा लगे होंगे ।

(ग) जी नहीं ।

Deportation of Pakistani Infiltrators

*382. **Dr. L. M. Singhvi:**
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Surendranath Dwivedy:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that it is proposed to appoint tribunals for ensuring a careful scrutiny of all cases of deportation of persons discovered to have illegally entered into India from Pakistan; and

(b) if so, the reasons for the appointment of such tribunals and their powers and functions?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hajarnavis): (a) Yes, Sir.

(b) In view of the magnitude of the problem and the experience gained over the last year or so, of dealing with unlawful infiltration from Pakistan, it was considered desirable to create a special, independent machinery for more effective disposal of cases of Pakistani infiltrants in Assam.

इंडियन आयल कम्पनी

*३८३. श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री २० नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन आयल कम्पनी के तेल की उत्पादन लागत तथा बिक्री दर क्या है जिसके आधार पर लाभ आंका जाता है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : इंडियन आयल कम्पनी वितरण के लिए पैट्रोलियम पदार्थों (जिनमें लुब्रीकेन्टस शामिल है) को विभिन्न साधनों (sources) से प्राप्त करती है ; जैसे रूस, रूमानिया इंगलिस्तान आदि से आयात किया हुआ माल, सरकारी क्षेत्र की नूनमती शोधनशाला (Refinery) से देश के अन्दर पैदा किया हुआ उत्पादन तथा पदार्थ विनिमय व्यवस्थाओं (product exchange arrangements) के अन्तर्गत व्यक्तिगत क्षेत्र की शोधनशालाओं

((Private sector refineries)) से उपलब्ध उत्पादन का कुछ भाग विभिन्न साधनों तथा पदार्थों की लागत अलग-अलग होती है। जहां तक कम्पनी के वास्तविक बिक्री मूल्यों का सम्बन्ध है, वे समय-समय पर बाजार की स्थिति तथा प्रतियोगिता की आर्थिक शक्तियों आदि पर निर्भर है। व्यापार ((transactions)) की बहुतायत तथा इसमें शामिल विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, बिक्री कीमतों को सामान्य रूप में बताना सम्भव नहीं है। ये बिक्री-मूल्य सरकार द्वारा समय समय पर निश्चित की गई अधिकतम बिक्री कीमतों (ceiling selling prices) से अधिक नहीं हो सकते।

Gypsum Mines in Rajasthan

1054. { **Shri Karni Singhji:**
Shri V. B. Deo:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether the Fertilizers Corporation of India Ltd., (Sindri Unit) has taken on lease gypsum mines in Rajasthan;

(b) if so, the number of mines together with their locations;

(c) the names of the places where the Corporation has established its offices for procurement of gypsum;

(d) the percentage of purity from different mine centres from where gypsum is supplied to Sindri; and

(e) the percentage of the expenditure incurred on the establishment of the Corporation to the value of gypsum obtained annually from these mines?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Hamayun Kabir): (a) Yes.

(*b*) Four (*i*) Kavas
(*ii*) Uttarlai
(*iii*) Kurla
(*iv*) Sheokar } In Barmer District.

(c) Jodhpur

(d) The percentage of purity for 1962-63 were as follows:—

	Percent
Kavas	85·59
Uttarlai	82·79
Kurla	80·80
Sheokar	88·29

(e) 52.51 per cent (for 1962-63)

बिहार में विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन-क्रम

१०५५. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से तीसरी योजना काल में कब, कितना और किस कार्य के लिय अनुदान दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि धनाभाव के कारण इन विश्वविद्यालयों ने अभी तक आयोग द्वारा निर्धारित वेतन-क्रम लागू नहीं किये हैं ;

(ग) क्या बिहार के विश्वविद्यालयों से संबद्ध कालेजों को भी आयोग की ओर से अनुदान दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो किन किन कालेजों को, कब, कितना और किस कार्य के लिये तीसरी योजना अवधि में अनुदान दिया गया ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला) : (क) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० २०१६/६३] ;

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० २०१६/६३]।